P.T.O.
Imp
09

बिहार सूचना आयोग
सूचना भवन, चतुर्थ तल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बिहार, पटना–800015।
दूरभाष–2215713, 2235059, फैक्स–2235460

संख्या 1/वि0–01/2020 440 बि0सू0आ0 पटना, दिनांक 21 अक्टूबर, 2020

सेवा में,

मुख्य सचिव, बिहार।
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना।
महामहिम राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, राजभवन, पटना।
सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव–सभी विभाग।
महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना।
सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय।
सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय।
पुलिस महानिदेशक, बिहार।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
कुल सचिव, सभी विश्वविद्यालय।

विषय– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 (1) के तहत बिहार सूचना आयोग में वार्षिक प्रतिवेदन हेतु धारा–25 (1) के अनुरूप सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 (1) के तहत बिहार सूचना आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष अधिनियम के कार्यान्वियन के संबंध में एक वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष उपस्थापन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना एक वैधानिक अनिवार्यता है। अधिनियम की धारा–25 (2) के तहत प्रत्येक विभाग का यह वैधानिक कर्तव्य है कि उनके अधीनस्थ सभी लोक प्राधिकारों के संबंध में अधिनियम के प्रावधानानुसार सूचनाओं को संकलित कर उसे बिहार सूचना आयोग को उपलब्ध कराए ताकि अधिनियम के प्रावधानों द्वारा वांछित अपेक्षाओं को पूर्ति हो सके।

2. उल्लिखित तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि अपने–अपने विभागों के अधीनस्थ सभी लोक प्राधिकारों से वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 (संलग्न विहित प्रपत्र में प्राप्त कर) से संबंधित (दोनों वर्षों का अलग–अलग) वांछित सूचनाओं को संकलित एवं समेकित कर उसे आयोग को निश्चित रूप से दिनांक–20.11.20 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में संबंधित लोक प्राधिकारों एवं उनके प्रधान पदाधिकारी का नाम आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित करते हुए अग्रेतर कार्रवाई हेतु राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया जाएगा।

3. इस क्रम में यह भी कहना है कि प्रत्येक जिलाधिकारी द्वारा अपने जिले के सभी अधीनस्थ लोक प्राधिकारों पंचायती राज संस्थानों सहित, के संबंध में तथा सभी प्रमंडलायुक्त द्वारा अपने प्रमंडलाधीन जिलों से संबंधित प्रतिवेदनों को संकलित एवं समेकित कर उसे आयोग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

20/X/20

(सुरेश पासवान)
सचिव

अनुलग्नक :– प्रपत्र–1 (लोक सूचना पदाधिकारी के लिए), प्रपत्र–2 (प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के लिए)

R. 4582/20
09/11/2020

सभी प्रधानाचार्य (अंगीभूत / संबद्ध)
उपर्युक्त पत्र के आलोक में सूचना public@lnmu.ac.in पर दिनांक 11.11.2020 तक आवश्यक उपलब्ध करायें।
10.11.2020

Scanned with CamScanner

मिल्लत कॉलेज के लोक सूचना पदाधिकारी से संबंधित प्रतिवेदन

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा– के तहत राज्य सूचना आयोग द्वारा तैयार किये जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन प्रपत्र– 1

कम संख्या	लोक का पदाधिकारी नाम	लोक सूचना पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वित्तीय वर्ष 2019–2020 मे लो0सू0पदा0के पास प्राप्त आवेदनो की संख्या	निस्तारित आवेदनो की संख्या	लम्बित आवेदनो की संख्या	कुल प्राप्त शुल्क	कितने मामले में सूचना नहीं दी गयी उसकी (धारा 8 एवं 9 के तहत)	कितने मामले में राज्य सूचना आयोग द्वारा लो0सू0पदा0पर आर्थिक दण्ड तथा अनुशास निककार्रवाई की अनुशंस की गयी उनकी संख्या	आयोग द्वारा निर्धारित आर्थिक दण्ड की कुल राशि	वसूली की गयी कुल राशि	अभ्युक्ति
1.	महाविद्यालय के लोक सूचना पदाधिकारी	Dr. Abdur Rafey Asst. Prof.	03	03	00	Rs.30	00	00	00	00	

Letter no. MCD/253/20 dt 11.11.2020

H.A

PIO 11/11/20

11.11.2020
Principal

MILLAT COLLEGE Principal DARBHANGA

लोक सूचना पदाधिकारी से संबंधित प्रतिवेदन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के तहत राज्य सूचना आयोग द्वारा तैयार किये जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन प्रपत्र–1

क्रम संख्या	लोक प्राधिकार का नाम	लोक सूचना पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वित्तीय वर्ष 2019–20 में लो०सू०प० के पास प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	लम्बित आवेदनों की संख्या	कुल प्राप्त शुल्क	कितने मामलों में सूचना नहीं दी गयी उसकी संख्या (धारा 8 एवं 9 के तहत)	कितने मामलों में राज्य सूचना आयोग द्वारा लो०सू०प० पर आर्थिक दण्ड तथा अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी उसकी संख्या	आयोग द्वारा निर्धारित आर्थिक दण्ड की कुल राशि	वसूली की गयी कुल राशि	अभ्युक्ति
1	विश्वविद्यालय स्तर पर लोक सूचना पदाधिकारी										
2	महाविद्यालय स्तर पर लोक सूचना पदाधिकारी										
3	कुल योग										

टिप्पणी– (क) [illegible] सी०डी०, पी०डी० एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाए।
(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के तहत नियम 3 [illegible] प्रतिवेदन।
(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के नियम 3 (ग) एवं (ङ) में [illegible] सी०डी०, पी०डी० एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाए।
(घ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के नियम 3 (घ) में [illegible] अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रश्न में, यदि कोई हो तो प्रतिवेदन [illegible] सी०डी०, पी०डी० एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित
(ङ) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–25 के तहत नियम 3 (च) में [illegible]
किया जाए।

Rdr. Manisha Sh
MMAhm 22.4.24

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

प्रपत्र 'क' (नियम 3 (1) देखें) आई० डी० सं० (कार्यालय प्रयोग के लिए)

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी

(विभाग/कार्यालय)

प्राचार्य नेशनल कॉलेज, लहेरिया सराय दरभंगा

1. आवेदक का नाम शाकी अहमद

2. पूरा पता रहमगंज, वार्ड नं० 33 पो० लालबाग, दरभंगा

3. माँगी गई सूचना का ब्यौरा (संक्षेप में)

श्री मो० आलम पिता स्व० मो० रहमगंज वार्ड नं० 33 पो० लालबाग, दरभंगा आपके कालेज के किस पद पर कार्यरत है तथा कब से कब तक उनकी सेवा है

4. मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में माँगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है । यह आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है ।

5. (1) मैंने 20 रुपये (शब्दों में) बीस रुपया का पोस्टल आर्डर तिथि 1/8/2023 को रसीद सं० 23G 369723 से विभाग कार्यालय में भुगतान किया है ।

(2) मैं डिमान्ड ड्राफ्ट/भुगतानादेश सं० .... दिनांक .... जो .... पदाधिकारी के पक्ष में .... बैंक द्वारा जारी की गयी है, फीस के रूप में संलग्न करता हूँ ।

(3) मैंने .... रुपये का नन जुडिशियल स्टाम्प इस आवेदन में लगा दिया (सबंद्ध कर दिया) है ।

(4) मैं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का हूँ । मेरे कार्ड/वांछित सर्टिफिकेट की छाया प्रति संलग्न है ।

आवेदक के पत्राचार का पूरा पता :

रहमगंज, वार्ड नं० 33 पो० लालबाग

दरभंगा 846004

Sh Ahmad

आवेदक का हस्ताक्षर

ई-मेल पता, अगर कोई हो,

दूरभाष संख्या

9572168153

स्थान : दरभंगा तिथि : 1.12.23

नोट :-गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार को कोई शुल्क देय नहीं है । जो लागू नहीं है उसे काट दें ।

Shafi Ahmad

जन्म तिथि/DOB: 03/09/1956

पुरुष/ MALE

2409 8879 7345

VID : [illegible]

मेरा आधार, मेरी पहचान

Address:

[illegible] Village-Bankipur, Post- [illegible], Darbhanga,

2409 8879 7345

VID : 9143 5639 0571 8373

Desig - Darwan

App - 2010 till ~~[illegible]~~

COUNTERFOIL
इसे फाड़कर प्रेषक अपने पास रख ले।
To be detached and kept by the Sender.
पोस्टल आर्डर
रुपए 20.00 Rs.
POSTAL ORDER
किसे अदा करना
To whom payable 2?
किस डाकघर में
At what Office
क्या इसे क्रास किया है
Whether crossed
भेजने की तारीख
Date sent 15/11/22
23G 389723

Ph.: 222926 (O)
233882 (R)

Millat College

DARBHANGA- 846004 (BIHAR)
(A Constituent unit of L.N. Mithila University, Darbhanga)

Date 24/04/2024

श्री शफी अहमद
रहमगंज, वार्ड नं0–33
पोस्ट – लालबाग, दरभंगा
पिन – 846004

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 एवं 9 के अन्तर्गत माँगी गयी सूचना का जवाब निम्न प्रकार है–

1. श्री मो0 आलम, पिता – मो0 छेदी, मु0 – रहमगंज, वार्ड नं0 – 33, पोस्ट – लालबाग, दरभंगा का नियोजन संविदा कर्मी के रूप में 'दरबान' के पद पर हुआ है।
2. श्री मो0 आलम की योगदान तिथि – 01.07.2010 है। विश्वविद्यालय के आदेशानुसार अद्यतन कार्यरत है।

24/4/24
लोक सूचना अधिकारी

24.4.24
प्रधानाचार्य

प्रधानाचार्य
मिल्लत कॉलेज दरभंगा

O/C

Millat College

DARBHANGA-846004 (BIHAR)

(A Constituent unit of L. N. M. University, DARBHANGA)

☎ 222926 (O)
233882 (R)

No MCD/38/18

Date 22-09-2018

Principal

सेवा में,

दानिश अंसारी

S/o जफीर अंसारी

हाई रिस्क वार्ड

सेंट्रल जेल नं0 1

तिहार नई दिल्ली 64

विषय :- सूचना अधिनिय के तहत मांग की गई सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में

महाशय,

आपके द्वारा मांग की गई सूचना निम्न प्रकार उपलब्ध कराया जा रहा है नए नियम के अनुसार सूचना के एक आवेदन पर एक ही सूचना उपलब्ध कराया जा सकता है आपके द्वारा तीन सूचना की मांग की गई है आप को दो सूचना उपलब्ध कराया जा रहा है

1. वर्ष 2015 में मुख्य विषय जीव विज्ञान से बारहवीं की क्लास के कुल 231 छात्र छात्राएं पास किए थे
2. वर्ष 2015 में कुल फेल होने वाले छात्र छात्राएं कुल 12 थे
   जहां तक की तीसरी सूची की जो मांग की गई है वह कागजात अन्य छात्र छात्राओं का है जो नियम के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को देने का प्रावधान नहीं है क्योंकि हो सकता है कि इसका प्रयोग उन छात्र-छात्राओं के विरुद्ध किया जा सकता है

विश्वासभाजन

22/9/18

प्रधानाचार्य सह सूचना अधिकारी

डा0 पी0 रहमतुल्लाह

मिल्लत कॉलेज दरभंगा

Millat College, Darbhanga
स्थापित-1957

Principal
MILLAT COLLEGE
Darbhanga (Bihar)

19
सं० प.

विषय: सूचना का अधिकार के तहत मांगी गई सूचना
उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

महोदय,

आप के द्वारा मांगी गई सूचना निम्न प्रकार उपलब्ध कराया जा रहा है। एक आवेदन नये नियम के अनुसार सूचना के एक ही सूचना उपलब्ध कराया जा सकता है। आप के द्वारा तीन सूचना की मांग की गई है। आप को दो सूचना उपलब्ध कराया जा रहा है।

(1) वर्ष 2015 में मुख्य विषय जीव विज्ञान से बारहवीं क्लास कुल 231 छात्र, छात्रा पास किया था।

(2) वर्ष 2015 में फेल करने वाले छात्र, छात्रा कुल 12 थे।

जहाँ तक तीसरी सूचना की जो मांगी गई है वह कागजात अन्य छात्र छात्रा का है जो नियम के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को देने का प्रावधान नहीं है क्योंकि हो सकता है कि इसका प्रयोग उन छात्र छात्रा के विरुद्ध किया जा सकता है।

विश्वासभाजन

जन सूचना अधिकारी,
मिल्लत कॉलेज,
दरभंगा

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र,

महोदय,

आवेदक को निम्नलिखित सवालों के उत्तर देने की कृपा करें,

1.) आपके कॉलेज से 2015 में कितने छात्र-छात्रा ने मुख्य विषय जीव-विज्ञान से बारहवीं किए?
2.) उनमें से कितने छात्र-छात्रा फेल हुए?
3.) कृप्या जो छात्र-छात्रा फेल हुए थे 2015 में, कॉलेज में जमा उनके सभी कागजात का कॉपी प्रदान करें।

नोट :- आवेदक एक कारागार बंदी है और प्रधानमंत्री के कार्यालय के आदेशानुसार जेल बंदी से R.T.I. शुल्क नहीं लिया जाएगा। (आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है)

Danish

आवेदक
:- दानिश अंसारी
S/o:- जफीर अंसारी
हाई रिस्क वार्ड
सेन्ट्रल जेल नं०-1
तिहाड़ नई दिल्ली-64

Right to Informa...

PRIME MINISTER'S OFFICE

South Bloc...
New Delhi-110 01...

No. RTI/5636/2012-PMR

Dated: 14 /01/201...

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Application under Right to Information Act, 2005

An application dated 20/12/2012 received on transfer from Cabinet Secretariat on 11/01/2013 of Mohd. Nauman on the above noted subject is transferred under section 6(3) (ii) of the Right to Information Act, 2005, for action as appropriate.

Fee exempted for prisoners.

(S.E. Rizwi)
Deputy Secretary and
Central Public Information Officer
Phone: 2307 4072

Home Secretary
Ministry of Home Affairs
North Block, New Delhi – 110 001

Point 2

Copy by Registered AD to:

Mohd. Nauman
S/O Mohd. Suleman
Ward - 2, Central Jail 1
Tihar, New Delhi - 110 064

Y are advised to approach the above public authority for further information regarding the matter. Response in respect of this office will be provided in due course.